Date – 11 August 2022

भारत छोड़ो आंदोलन

- 8 अगस्त, 2022 को, भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूरे किए, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।

परिचय:

- 8 अगस्त 1942 को, **महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के अंत का आह्वान किया** और मुंबई में अखिल **भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में** भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
- **गांधीजी ने ग्वालिया टैंक मैदान में** अपने भाषण में "करो या मरो" **का आह्वान** किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है।
- अरुणा आसफ अली, **जिन्हें स्वतंत्रता** आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' **के रूप में** जाना जाता है, भारत **छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती** हैं।

- 'भारत छोड़ो' का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था।
- महेराली ने "साइमन गो बैक" का नारा भी गढ़ा।

कारण:

क्रिप्स मिशन विफलता:

- आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति/मिशन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं था।

संदर्भ:

- भारत में एक नए संविधान और स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था।
- क्रिप्स मिशन के पीछे कारण: दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को क्रिप्स मिशन भेजा गया था। मार्च 1942 में भारत के प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत के लिए।

पतन का कारण:

- यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने विभाजन के साथ भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।

नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी:

- द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गलत समझा।

ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार:

- ब्रिटिश विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की थी।

कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण:

- कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों जैसे अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि के नेतृत्व में दो दशकों से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी।
- देश में कई जगहों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे।

आवश्यक वस्तुओं की कमी :

- द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर गई थी।

मांगें:

- फासीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई थी।
- अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार बनाने की मांग।

चरण: आंदोलन के तीन चरण थे:

- **प्रथम चरण –** शहरी विद्रोहों, हड़तालों, बहिष्कारों और धरनाओं द्वारा चिह्नित, जिन्हें शीघ्र ही दबा दिया गया।
- पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया।
- गांधीजी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- आंदोलन के **दूसरे चरण** में, ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संचार प्रणालियों को बाधित करना था, जैसे रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार और पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक शक्ति।
- **अंतिम चरण** में विभिन्न क्षेत्रों (बलिया, तमलुक, सतारा आदि) में राष्ट्रीय सरकारें या समानांतर सरकारें बनीं।

आंदोलन की सफलता

भविष्य के नेताओं का उदय:

- राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे।

महिलाओं की भागीदारी:

- आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिसने आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा की।

राष्ट्रवाद का उदय:

- भारत छोड़ो आंदोलन ने देश में एकता और भाईचारे की एक अलग भावना पैदा की। कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

आज़ादी का रास्ता

- यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तुरंत स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, लेकिन इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण, ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि लंबे समय तक भारत को नियंत्रित करना संभव नहीं था।
- इस आंदोलन के कारण, अंग्रेजों के साथ भारत के राजनीतिक संवाद का स्वरूप ही बदल गया और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आंदोलन विफलता:

क्रूर दमन:

- आंदोलन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा देखी गई, जो पूर्व नियोजित नहीं थी।
- अंग्रेजों द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया।

- इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया और 1,00,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

समर्थन की कमी:

- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया।
- मुस्लिम लीग विभाजन से पहले अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी।
- कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
- हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार इस डर से किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।
- इस बीच, सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर 'इंडियन नेशनल आर्मी' और 'आजाद हिंद सरकार' का गठन किया।
- सी. राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं किया था।

स्वदीप कुमार

पेसा अधिनियम

- गुजरात में विभिन्न चुनावी दल पंचायत उपबंधन (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 को सख्ती से लागू करने का वादा करके आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
- गुजरात में राज्य पेसा नियमों को जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और उन्हें राज्य के आठ जिलों में 50 आदिवासी तालुकों की 2,584 ग्राम पंचायतों के तहत 4,503 ग्राम सभाओं में लागू किया गया था।

- तथापि अधिनियम को अभी भी अक्षरश: लागू नहीं किया गया है।
- छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र) ने पेसा कानून बनाए हैं और अगर इन नियमों को लागू किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ उन्हें लागू करने वाला सातवां राज्य बन जाएगा।

पेसा अधिनियम:

- पेसा अधिनियम 1996 में "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए" अधिनियमित किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT के भाग IX में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं।

प्रावधान:

- इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है जिसके अनुसार पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे।
- पांचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।
- दस राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना- ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जो इनमें से प्रत्येक राज्य में कई जिलों (आंशिक या पूर्ण) को कवर करते हैं।)

उद्देश्य:

- अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना।
- यह कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
- ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के अनुमोदन और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है।

पेसा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व:

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: पेसा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। **इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं:**
- जल, जंगल, भूमि पर संसाधन।
- लघु वनोपज।
- मानव संसाधन: नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएं और कार्मिक।
- स्थानीय बाजारों का प्रबंधन।
- भूमि अलगाव को रोकना।
- नशीले पदार्थों पर नियंत्रण।

पहचान संरक्षण:

- ग्राम परिषदों की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण और एक गांव के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण शामिल है।

संघर्षों का समाधान:

- इस प्रकार पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

सार्वजनिक निगरानी:

- ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा के भीतर मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी और निषेध करने का अधिकार होगा।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

आंशिक कार्यान्वयन:

- राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य कानूनों को लागू करना चाहिए।
- परिणामस्वरूप पेसा को आंशिक रूप से लागू किया गया है।
- आंशिक क्रियान्वयन ने झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को विकृत कर दिया है।

प्रशासनिक बाधाएं:

- कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी कमजोरी, नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।

कागज वास्तविकता के बजाय अनुसरण करता है:

- राज्य भर में किए गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया कि वास्तव में, विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागजों पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- **भारतीय संविधान का भाग X:** अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी दी गई है।
- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची में और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वनवासी समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

स्वदीप कुमार